न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 181/2023

प्रार्थीः–

1. हारून मोहम्मद पौत्र गनी खां जाति मुसलमान निवासी नयागांव तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. गनी खां पुत्र पीरू खां, जाति मुसलमान निवासी नयागांव तह0 सोजत जिला–पाली।
2. शहीदा बानु पुत्री गनी खां पत्नि मोहम्मद हुसैन, जाति मुसलमान निवासी चानणा भाकर ज्योति नगर, जोधपुर राजस्थान।
3. मुनकी पुत्री गनी खां पत्नि वल्ली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बीजपुर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
4. भुरी बानो पुत्री गनी खां पत्नि वायद खां, जाति मुसलनान निवासी नयागांव तहसील सोजत जिला पाली राज0।
5. सब रजिस्ट्रार, पंजीयन कार्यालय सोजत तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री दुर्गाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार भूमि धारक सोजत

–: निर्णय :– दिनांक : – 03/04/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उपरोक्त अनवान आशय का एक मूल वाद न्यायालय में कर रखा हैं, जिसमें सफलता मिलने की मुझ प्रार्थी को पूर्ण आशा व विश्वास है। अधिवक्ता मय प्रार्थी राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा नयागांव, चौपड़ा एवं चांदासनी में प्रार्थी की पुश्तैनी कदीम काश्त कब्जा एवं उत्तराधिकारीता में प्राप्त कृषि भूमि इस प्रकार है कि ए– सरहद मौजा चौपडा तहसील सोजत खसरा नंबर 1446 1448 रकबा क्रमशः 1.7000, 0.3100 है0 किस्म नहरी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.0100 हैक्टर बी– सरहद मौजा चांदासनी तहसील सोजत– खसरा नंबर 665, 666/827 रकबा क्रमशः 0.8700, 0.4300 है0 किस्म नहरी कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3000 हैक्टर। सी– सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 1, 146 तथा 147 रकबा क्रमशः 2.0900, 0.9500 एवं 0.6800 है0 किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर। डी– सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 654/1 रकबा 0.7000 है0 किस्म पेटा तालाबी इ– सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 2, 73, 81 रकबा क्रमशः 3.2400, 1.0000, 0.9300 है0 किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 03 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर स्थित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

Scanned with CamScanner

जिसके राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदारी मुझ प्रार्थी के वृद्ध एवं मानसिक रूप से शुब्ध मेरे दादा श्री गनी खां के नाम की राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राजी होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 एवं उनके पति मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि का चुपके बेचान, बक्सीस, दान आदि करके जबरन हड़पने को उतारू है। उक्त नाजायज कृत्य को अंजाम देते हुये अप्रार्थीगणो ने अभी कुछ दिनो पूर्व गनी खां को चुपके चुपके सोजत ले जाकर खसरा नंबर 1 रकबा 2.0900 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का बक्सीस अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 एवं 4 ने अपने पक्ष में करवा कर अवैध रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाकर अब शीघ्र ही उक्त कृषि भूमि का आगे बेचान करने को उतारू है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का बक्सीस करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि गनी खां के एक पुत्र मजीद खां, पौत्र मैं प्रार्थी एवं एक पुत्री बेबी उर्फ बान पुत्री है। हम सभी का उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1 में बहिस्सा बराबर कृषि भूमि आती है। उपरोक्त वर्णित वाद प्रथम दृष्टया मुझ प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट परिलक्षित है।यह है कि सुविधा का सन्तुलन का पलड़ा मुझ प्रार्थी के पक्ष में भारी है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूनि का अप्रार्थीगणों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार से रदोबदल कर दिया गया तो अपूर्णीय क्षति मुझ प्रार्थी को हो जायेगा। जिसकी भरपायी मुद्रा में नही की जा सकती। इस कारण उक्त बक्सीस निरस्त फरमाकर आगे किसी भी तरह से बेचान, बक्सीस, दान नही करने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को पाबंद फरमावे एवं अप्रार्थी संख्या 5 को अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा पेश किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करने जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से तमाम अप्रार्थीगणो को पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। दिनांक 05.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 से 5 बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजें दिलाई जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 गजी खां दिनांक 05.02.2024 आज न्यायालय में उपस्थित हुए। आज दिनांक को वकालत नामा पेश नही करने व उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध आज एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।

बहस प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा नयागांव, चौपड़ा एवं चांदासनी में प्रार्थी की पुश्तैनी कदीम काश्त कब्जा एवं उत्तराधिकारीता में प्राप्त कृषि भूमि इस प्रकार है कि ए– सरहद मौजा चौपडा तहसील सोजत खसरा नंबर 1446 1448 रकबा क्रमशः 1.7000, 0.3100 है0 किस्म नहरी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.0100 हैक्टर बी– सरहद मौजा चांदासनी तहसील सोजत– खसरा नंबर 665, 666/827 रकबा क्रमशः 0.8700, 0.4300 है0 किस्म नहरी कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3000 हैक्टर। सी– सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 1, 146 तथा 147 रकबा क्रमशः 2.0900, 0.9500 एवं 0.6800 है0 किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर। डी– सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 654/1 रकबा 0.7000 है0 किस्म पेटा तालाबी इ– सरहद मौजा नयागांव तहसील

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

Scanned with CamScanner

सोजत खसरा नंबर 2, 73, 81 रकबा क्रमशः 3.2400, 1.0000, 0.9300 है0 किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 03 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर अन्यत्र बेचान, रहन, हस्तान्तरण, बक्सीस इत्यादि करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत ने विधि' अनुरूप आदेश पारीत किए जाने हेतु कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदारी प्रार्थी के वृद्ध एवं मानसिक रूप से शुब्ध दादा श्री गनी खां के नाम की राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राजी होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 एवं उनके पति उक्त कृषि भूमि का चुपके ब्रेचान, बक्सीस, दान आदि करके जबरन हड़पने को उतारू होना बताया है। यदि अप्रार्थीगण करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होगी। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बाद विनिश्चय विवादस्थ भूमि के मौके की यथास्थिति वाद निर्णय तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

—::आदेश::—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चौपडा तहसील सोजत खसरा नंबर 1446, 1448 रकबा क्रमशः 1.7000, 0.3100 है0 किस्म नहरी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.0100 हैक्टर, सरहद मौजा चांदासनी तहसील सोजत– खसरा नंबर 665, 666/827 रकबा क्रमशः 0.8700, 0.4300 है0 किस्म नहरी कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3000 हैक्टर। सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 1, 146 तथा 147 रकबा क्रमशः 2.0900, 0.9500 एवं 0.6800 है0 किस्म बारानी अव्वल, सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 654/1 रकबा 0.7000 है0 किस्म पेटा तालाबी सरहद मौजा नयागांव तहसील सोजत खसरा नंबर 2, 73, 81 रकबा क्रमशः 3.2400, 1.0000, 0.9300 है0 किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 03 कुल रकबा 5.1700 हैक्टर भूमि की वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति (Status Quo)बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम है। बाद तकमील जाब्ता मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 09/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

Scanned with CamScanner